

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004

// अधिसूचना //

भोपाल दिनांक 18/02/2020

फा0कमांक-1107/21-ब(दो) 2020, राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला कटनी के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री जियालाल चौधरी (नामांकन क्र. एम.पी. /1529/1990, दिनांक 07.11.1990) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री जिया लाल चौधरी, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 15.05.1965 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमे से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री जियालाल चौधरी, अधिवक्ता, कटनी को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 26/09/2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातिया तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

भोपाल, दिनांक 18/02/2020

पृ0कमांक 1107/21-ब(दो)2020

प्रतिलिपि:-

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.)
- (2) आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर, (म.प्र.)
- (3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी (म.प्र.)
- (4) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कटनी (म.प्र.)
- (5) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- (6) प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)
- (7) संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, भदभदा रोड, भोपाल, (म.प्र.)
- (8) माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव, भोपाल,
- (9) बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल, (म.प्र.)
- (10) श्री जियालाल चौधरी पिता श्री पुलैया चौधरी, निवासी ग्राम-डिठवारा तह. कटनी जिला कटनी (म.प्र.)
- (11) उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
- (12) आई0टी0, शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं विभागीय वेबसाइट पर दर्ज सूची में अद्यतन करने हेतु की ओर प्रेषित।

Handwritten notes: *Permanant*, *MM*, *25.02*

JABALPUR
25 FEB 2020
Reg No. 2303
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

(संतोष प्रसाद शुक्ल)  
अतिरिक्त-सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग  
प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 19/02/2020

फा0कमांक-1(सी)/1102/एट्रोसिटीज/21-ब(दो), राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला टीकमगढ के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री बलराम अहिरवार, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम.पी./248/1996, दिनांक 23.02.1996) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री बलराम अहिरवार अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 22.12.1969 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री बलराम अहिरवार, अधिवक्ता, टीकमगढ को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश कमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 26/09/2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,  
भोपाल, दिनांक 19/02/2020

पू0कमांक 1(सी)/1102/एट्रोसिटीज/21-ब(दो),20

प्रतिलिपि-

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.)
- (2) आयुक्त, सागर संभाग सागर, (म.प्र.)
- (3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ (म.प्र.)
- (4) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ (म.प्र.)
- (5) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- (6) प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)
- (7) संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, भदभदा रोड, भोपाल, (म.प्र.)
- (8) माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव, भोपाल,
- (9) बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल, (म.प्र.)
- (10) श्री बलराम अहिरवार पिता स्व.श्री पुनू अहिरवार, निवासी-मु0मामौन दरवाजा, टीकमगढ (म.प्र.)
- (11) उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
- (12) माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव,
- (13) आई0टी0, शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं विभागीय वेबसाइट पर दर्ज सूची में अद्यतन करने हेतु

की ओर सूचना एवं आदेश के प्रसारण हेतु प्रेषित।

102/2020

JABALPUR
25 FEB 2020
Reg No..... 2312
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

(संतोष प्रसाद शुक्ला)  
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग